[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 21st December, 2011

No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2011.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Department (Group B) Service Rules, 1988, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group B) service (Amendment) Rules, 2011.

2. In the Haryana Excise and Taxation Department (Group B) Service Rules, 1988 (hereinafter called the said rules), for clause (b) of sub-rule (1) of rule 9, the following clasue shall be substituted, namely :—

"(b) in the case of Assistant Excise and Taxation Officer :—

(i) 33 $^{1}/_{3}$% by direct recruitment; and

(ii) 50% by promotion from amongst the Taxation Inspectors;

10% by promotion from amongst the Excise Inspectors ; and

6 $^{2}/_{3}$% by promotion from amongst Superintendents :

Provided that Superintendent shall be eligible for promtion as Assistant Excise & Taxation Officer only after passing a departmental examination with 66% marks in each subject; or

(iii) by transfer or deputation of an officer/official already in service of any State Government or the Government of India.

3. In the said rules, in Appendix B, under column 4, against serial number 2, for item at serial 3, the following item shall be substituted, namely :—

"3. Three years experience as Superintendent.".

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise & Taxation Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

संख्या सा०का०नि० 19/संवि०/अनु०.309/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) आबकारी तथा कराधान अधिकारी की दशा में,—

(i) 66 $^{2}/_{3}$ प्रतिशत सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों की दशा में,—

(i) 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 50 प्रतिशत निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

10 प्रतिशत आबकारी निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

6 $^{2}/_{3}$ प्रतिशत अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु अधीक्षक केवल प्रत्येक विषय में 66 प्रतिशत अंकों सहित विभागीय परीक्षा पास करने के बाद ही सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) सेवा के सदस्यों की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी, जिसका पाठ्यक्रम वैसा ही होगा जैसा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा सहबद्ध सेवाओं के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का है।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 4 के नीचे, क्रम संख्या 2 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; तथा

2. कराधान निरीक्षक या आबकारी निरीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; या

3. अधीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।